न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 115/2024 G.C.M.S. No. 2024/462 दर्ज दिनांक : 07.11.2024

अपीलार्थिगण:

1. गंगादेवी पुत्री विशनाराम
2. गीतादेवी पुत्री विशनाराम
3. विरदाराम पुत्र विशनाराम उम्र 66 वर्ष, जातियान जाट, निवासीगण रेपड़ावास, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. देवाराम पुत्र हरजी जाट, निवासी रेपड़ावास, तहसील सोजत व जिला पाली।
2. मृत भंवरलाल पुत्र विशनाराम के वारिसान:–
   2/1 माड़ीदेवी पत्नि भंवरलाल
   2/2 कैलाश पुत्र भंवरलाल
   2/3 मोटाराम पुत्र भंवरलाल
   2/4 कालची पुत्री भंवरलाल
   2/5 हेमा पुत्री भंवरलाल
3. पानी पुत्री विशनाराम
4. शिवलाल पुत्र विशनाराम, जातियान जाट, निवासीगण रेपड़ावास, तहसील सोजत व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 बअनवान देवाराम बनाम गंगा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री लक्ष्मण मेघवाल, श्री दशरथसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री महेन्द्र चौधरी, नीलम सोनी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 बअनवान देवाराम बनाम गंगा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने माननीय न्यायालय श्री उप–जिला कलक्टर महोदय, सोजत के समक्ष धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रेपड़ावास में मेरी खातेदारी कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि खसरा संख्या 197 में आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 198 में से रास्ता दिलवाया जावे, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण/अपीलाण्टगण को जारी किये गये। अपीलाण्टगण को उक्त आशय के नोटिस कभी भी तामिल नहीं हुये, नोटिसों की बिना सम्यक तामिल करवाये माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण की अनुपस्थिति मानते हुये एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये। अपीलाण्टगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी नहीं किये गये। अपीलाण्टगण अनपढ़ गृहिणियां है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करने में जल्दबाजी की, जिससे अपीलाण्टगण के हक व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 198 में से उत्तरी दिशा में से ही रास्ते की मांग की। पटवारी हल्का रेपडावास ने दक्षिणी दिशा का माप कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय में रास्ते हेतु प्रस्ताविक रास्ता बताया। पटवारी हल्का रेपड़ावास ने बिना अपीलाण्टगण की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया तथा प्रस्ताविक रास्ते का एकपक्षीय कार्यवाही कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय को पेश कर दी थीं, जबकि पटवारी हल्का द्वारा दोनों पक्षों को बुला कर दोनों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाता तो दोनों पक्षकार उत्तरी दिशा में रास्ते को लेकर सहमत थें, लेकिन पटवारी हल्का ने जानबूझकर इस आशय की रिपोर्ट बना कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी, जिससे माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्टगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा भी खसरा नम्बर 198 के उत्तरी माठ में होते हुये रास्ते की मांग हल्का पटवारी के समक्ष की थीं। वक्त मौका रिपोर्ट बनाते समय पटवारी हल्का को बताया गया कि उत्तरी माठ का सीमांकन व माप करना है, लेकिन मात्र छोटी भुजा को देखते हुये बिना पक्षकारों की सहमति लिये उत्तरी दिशा की जगह दक्षिणी दिशा का नाप लेकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर दी। अपीलाण्टगण नियमानुसार जो विधि द्वारा दिये गये प्रावधान है, उनके अनुसार अपने खसरा नम्बर 198 की उत्तरी माठ से रास्ता देने को तैयार है, जिस पर पक्षकारों में भी कोई मतभेद नहीं हैं। पटवारी हल्का के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई हैं, उस पर किसी भी अपीलाण्टगण के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये, न ही कोई पूर्व में सूचना दी गई। प्रस्तुत हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार सोजत के भी कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, जिसका अवलोकन भी किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अपीलाण्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे प्रकरण की जानकारी तहसील कार्यालय सोजत से उनके नाम जारी चौक की जानकारी होने पर दिनांक 04/11/2024 को माननीय अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय की प्रति लेकर उसी दिन रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया तथा साथ में स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से दिनांक 18/07/2024 की पालना व प्रभाव को स्थगन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, लेकिन स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया, ऐसी अवस्था में हल्का पटवारी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18/07/2024 की पालना करते हुये म्यूटेशन भर दिया जाता है तो अपीलाण्टगण लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ने को विवश हो जायेंगे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.07.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील 50 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट अनपढ़ होने से निर्णय की प्रति व निर्णय की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं कर सका। अपने अधिवक्ता से संपर्क स्थापित नहीं कर सका। जिस कारण से उपरोक्त अपील निर्धारित समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट द्वारा जानबूझकर कारित नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना आज्ञापक है एवं उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकर करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी 197 तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 198 में से रास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की मांग की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 198 में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। चूंकि यह स्पष्ट है कि प्रकरण में भू.अ.नि से अनिम्न अधिकारी द्वारा प्रभावित खातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी की आराजीयात तक पहुंच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शाते हुए विस्तृत जांच प्रतिवेदन मय नक्शा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना आज्ञापक है। जिसमें हस्तगत प्रकरण में अभाव पाया गया है। साथ ही अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 198 की उत्तरी माठ के सहारे रास्ता स्वीकृत करने के संबंध में पक्षकारों के मध्य कोई मतभेद नहीं होना भी हस्तगत अपील में प्रकट किया है। अतः इस संबंध में अप्रार्थीगण को अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपना मत रखने व प्रतिरक्षा किए जाने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन आदेश की पुष्टि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 37/2022 बअनवान देवाराम बनाम गंगा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 18.07.2024 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रकरण में भू.अ.नि. से अनिम्न राजस्व अधिकारी से सभी प्रभावित खातेदारान को सूचित करवाते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय उपखंड

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिकारी सोजत में दिनांक 28.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली